बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :– 2/अ०प्र०–2–06/2017 428 /पटना, दिनांक :– 21.11.24

श्री राज कुमार, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, हिलसा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड सं0–103/2017 दिनांक 23.11.2017 के आलोक में कार्यालय आदेश सं0–396 सह–पठित ज्ञापांक 3679 दिनांक 27.12.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क), 9(1)(ग) एवं 9(2)(क) के तहत दिनांक 23.11.2017 के प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश सं0–09–सह–पठित ज्ञापांक 428 अनु0 दिनांक 28.02.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 3665 अनु0 दिनांक 03.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री कुमार को कार्यालय आदेश सं0–63–सह–पठित ज्ञापांक 2320 दिनांक 16.08.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया।

3. श्री राज कुमार द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (CWJC No-2954/2020 राज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

As well as after the consideration of appendix of Regulation 2017, this Court is of the firm view that the charge memo is defective and it has not been issued in accordance with the Regulation 2017 notified by the State on 14.12.2017 and therefore, this Court is of the view that this charge should go, in result the charge shall go, then automatically every consequential effect shall also not sustainable.

8. Hence, charge memo dated 16.01.2018 annexed as Annexure- 2/B, enquiry report dated 03.12.2018 annexed as Annexure-5/B, punishment order contained in Memo no. 2320 dated 16.08.2019 annexed as Annexure-8 and the appellate order

contained in Memo no. 3556 dated 03.12.2019 annexed as Annexure-11 are hereby set aside.

9. But since, this matter is relating to corruption against the delinquent, therefore, such type of allegation is necessary to be checked afresh and therefore, liberty is hereby granted to the State that State shall issue fresh charge memo according to the Regulation 2017, may proceed further and conclude it within 6 months from the date of production of the order.

10. Respondent is directed to accept the petitioner's joining and proceed further in accordance with CCA Rules, 2005.

11. With the aforesaid observation and direction, this writ petition is hereby allowed.

4. माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में श्री राज कुमार, बर्खास्त कनीय अभियंता द्वारा अपने आवेदन दिनांक 22.01.2024 के माध्यम से विभाग में योगदान समर्पित करते हुए बकाया एवं लंबित वेतन के भुगतान के साथ–साथ अनुसंगी लाभों के भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

5. उक्त न्यायादेश एवं श्री कुमार के आवेदन के आलोक में कार्यालय आदेश सं0–751 दिनांक 14.03.2024 द्वारा उक्त बर्खास्तगी आदेश दिनांक 16.08.2019 को निरस्त करते हुए विभाग में उनके योगदान को स्वीकृत किया गया तथा कार्यालय आदेश सं0–214–सह–पठित ज्ञापांक–3257 दिनांक 26.06.2024 द्वारा श्री कुमार का पदस्थापन प्राक्कलक (कनीय अभियंता), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के पद पर किया गया।

6. साथ ही उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय ज्ञापांक 2298 दिनांक 20.08.204 द्वारा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोपों पर उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्रांक 01 दिनांक 13.09.2024 द्वारा अपना लिखित अभिकथन विभाग को समर्पित किया गया। श्री कुमार के लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

7. इस संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(5) मे निम्न प्रावधान किया गया है:–

"जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निरस्त कर दी जाती है या के परिणामस्वरूप शून्य घोषित हो जाती है या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की

परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरूद्ध ऐसे आरोपों, जिन पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्त की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जॉच करने का विनिश्चय करता है वहाँ सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलंबित किया हुआ समझा जायेगा और अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रहेगा।"

8. श्री कुमार द्वारा पुनः अपने निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी अवधि के सेवा विनियमन के संबंध में आवेदन दिनांक 11.07.2024 विभाग के समक्ष समर्पित किया गया है। श्री कुमार के आवेदन दिनांक 11.07.2024 की बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(5) मे किये गये प्रावधान के आलोक में समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त निम्न निर्णय लिया जाता है:–

(i) श्री कुमार को सेवा से बर्खास्त किये जाने की तिथि 16.08.2019 से पूर्व के निलंबन अवधि (दिनांक 23.11.2017 से 15.08.2019) का विनियमन उनके विरूद्ध पुनः संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर होगा।

(ii) श्री कुमार को सेवा से बर्खास्त किये जाने की तिथि 16.08.2019 से विभाग में पुनः उनके योगदान की तिथि से एक दिन पूर्व की तिथि 21.01.2024 तक की अवधि की गणना निलंबन अवधि के रूप में की जायेगी।

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–06/2017 2923 /पटना, दिनांक :– 21-11-24

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–06/2017 2923/पटना, दिनांक :– 21.11.24

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, हिलसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री राज कुमार, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, हिलसा सम्प्रति प्राक्कलक(कनीय अभियंता), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव